

फा. सं. ऐरा/20010/एमवार्डीपी/ एचआईएएल/सीपी-III/ 2021-26
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 10 जुलाई, 2021

सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2021-22

विषय: राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (आरजीआईए), हैदराबाद में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 02.07.2021 के परामर्श पत्र संख्या 11/2021-22 के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (आरजीआईएएल) द्वारा एटीपी/टैरिफ कार्ड की प्रस्तुति

1. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, हैदराबाद (आरजीआईए) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021-31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 02.07.2021 के परामर्श पत्र (सी.पी.) संख्या 11/2021-22 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।
2. इस संबंध में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, हैदराबाद (एचआईएएल) ने परामर्श पत्र के अंतर्गत अपेक्षा किए अनुसार अपने दिनांक 09.07.2021 के पत्र संख्या जीएचआईएएल/2021-22/एसपीजी/1625 द्वारा प्रस्तावित एटीपी /टैरिफ कार्ड प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकरण सभी हितधारकों की टिप्पणियां/विचारों को ध्यान में रखकर टैरिफ आदेश में टैरिफ दर कार्ड को अंतिम रूप देगा।
3. एटीपी /टैरिफ कार्ड ऐरा की आधिकारिक वेबसाइट पर “ Stakeholder Process (हितधारक प्रक्रिया) ” के अंतर्गत परामर्श पत्र संख्या 11/2021-22 के साथ देखा जा सकता है।
3. उपर्युक्त जानकारी सभी हितधारकों की सूचना के लिए है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

